प्रमोद बैरवा शंकरलाल बनाम भुवनेश्वरी बैरवा

धारा 111-128 L.R Act किस्म फ़ाएफस

प्र०सं० 393/17

14.12.17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये बुलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.2018 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

22/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1, 3, से 12 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी क्र० 3, 4, 9 9 की ओर से श्री सुरेश कुमार सैन एडवोकेट ने वी.टी. तथा अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी क्र० 3, 4, 9 9 की ओर से उत्तर पेश करना चाहते हैं। विपक्षी क्र० 1 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी क्र० 2 को सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। जिसे शामिल विपक्षी क्र० 2 को सम्मन राजकीय कार्य के कारण P.O. क्र० अन्य पत्रावली किया गया। P.O. क्र० 3, 4, 9 9 ने विपक्षी क्र० 2 की तलबी, विपक्षी क्र० 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 वारंट तथा विपक्षी क्र० 5, 6, 7, 8, 10, 11 अधिकार पत्र पेश करने तथा पत्रावली दिनांक 26.3.18 को 12 हेतु आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो 13.0

विपक्षी से. 3, 4, 9 9 की ओर से V.T. लेता हूं। आपत्ति पेश करना चाहता हूं।

(सुरेश कुमार सैन) Adv

26.3.18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी क्र० 5, 6, 7, 8, 10, 11 व 12 उपस्थित नहीं। विपक्षी क्र० 5, 6, 7, 8, 10, 11 व 12 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् तलबी करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया जाता है। विपक्षी क्र० 3, 4, 9 9 को वकील उपस्थित नहीं। विपक्षी क्र० 3, 4, 9 9 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् तलबी किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया जाता है। वकील विपक्षी क्र० ...

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

कोई भी जवाब कायदा देना चाहते हैं इस पर वकील प्रतिपक्षी एतराज है अतः वकील विपक्षी सं० 1 का जवाब बंद किया जाता है वकील प्रार्थीया विपक्षी सं० 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते के कारण कार्यवाही Drop की जाती है। वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। न्याय हित में वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 L.R. Act का स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner